मे0 मित्तलटेक स्टील एवं सीमेंट प्रा0 लि0, ग्राम–कुरारी, दुर्गावती, जिला–कैमूर द्वारा सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट, क्षमता–0.60 MTPA स्थापित करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना, 2006 के तहत् दिनांक 29.09.2020 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रखण्ड कार्यालय, दुर्गावती, जिला–कैमूर के सभागार में आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR No.-F.No.J-11011/41/2020-I.A.II (I), dated 08.05.2020 के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, अपर समाहर्ता–सह– जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कैमूर (जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभूआ) द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 29.09.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, दुर्गावती के सभागार में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, के माध्यम से दिनांक 26.08.2020 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री सुकुमार रावत ने पावर प्वाईंट प्रस्तुती द्वारा इकाई के उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि इकाई ने ग्राम–कुरारी, दुर्गावती, जिला–कैमूर, बिहार में 4.08 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। इसमें हरित पट्टी, (वृक्षारोपण क्षेत्र)–1.360 एकड़ प्रस्तावित है। हरित पट्टी त्रिस्तरीय होगी। विस्थापन की कोई समस्या नहीं है।

मे0 मित्तलटेक स्टील एवं सीमेंट प्रा0 लि0 के द्वारा 0.6 MTPA क्षमता का सीमेंट ग्राईडिंग की स्थापना की परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में क्लींकर, स्लैग, फ्लाई ऐश, जिप्सम की तथा ईंधन के रूप में कोयले की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना में उत्पादन के समय लगभग 45 कामगारों की आवश्यकता होगी तथा योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए 6.5 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता है जिसमें भू–गर्भ या भू–स्तरीय जल का उपयोग किया जायेगा। इस इकाई में पूरी तरह से सूखी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इकाई में उत्पादन प्रक्रिया में जल की आवश्यकता नहीं है।

कुलिंग वाटर बंद परिपथ में रहेगा। औद्योगिक बहिस्राव शून्य होगा। घरेलू बहिस्राव का प्राथमिक उपचार एस टी पी में किया जायेगा। उपचारित बहिस्राव का पुनः उपयोग

जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिए किया जायेगा। इकाई परिसर से किसी प्रकार का बहिस्राव बाहर निस्सारित नहीं होगा। वर्षा जल संचयन कार्यान्वित की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना में दो 1000 TPD Ball Mill और कोयला आधरित Hot Air Generater (HAG)–स्लैग ड्रायर स्थापित किया जायेगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीमेंट मिल मे एक–एक बैग फिल्टर, अनलोडिंग क्षेत्र में एक बैग फिल्टर, कच्चे माल क्षेत्र में एक बैग फिल्टर और पैकिंग क्षेत्र में एक बैग फिल्टर (कुल पाँच मुख्य बैग फिल्टर) स्थापित किये जायेंगे। स्लैग ड्रायर– हॉट एयर जेनरेटर में साईक्लोन एवं बैग फिल्टर स्थापित किया जायेगा। सीमेंट साईलोटॉप, सेपरेटर, मिल हाउपर, फ्लाई ऐश बिन, फ्लाई ऐश साइलो आदि में प्रक्रिया और फ्यूजिटीव उत्सर्जन के लिए 11 छोटे बैग फिल्टर स्थापित किये जायेंगे। फ्लाई ऐश एवं सीमेंट को साइलो में संग्रहित किया जायेगा एवं स्थानांतरण हेतु बंद वायुवीय प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। कोयला, जिप्सम, क्लींकर और स्लैग को कभर शेड में रखा जायेगा। पी.यू.सी. रजिस्टर्ड वाहनों का उपयोग किया जायेगा। अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उचित रख–रखाव किया जायेगा। सभी श्रमिकों को पी पी ई प्रदान किया जायेगा। सीमेंट प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण में एकत्रित धूल को वापस प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जायेगा। किसी भी ठोस–अपशिष्ट का निपटान की आवश्यकता नहीं होगी। इकाई द्वारा खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि उपयोग/खर्च किये गये तेल को Authorized Vendor को दिया जायेगा एवं Hazardous and other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 की प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि (कुल रुपया 91.15 लाख) क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के अध्यक्ष द्वारा आम जनता को बताया गया कि आप यहाँ के स्थानीय है। इस इकाई के लगने से क्या–क्या प्रदूषण की सम्भावना है। उसके निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आपको विस्तार से बताई गयी है। इसके अलावे पर्यावरण पर और क्या असर पड़ने की सम्भावना है। या कोई शंका है तो उसे निर्भिकतापूर्वक रखेंगे। आपका सुझाव/मंतव्य/शिकायत को इस लोक सुनवाई के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को भेजा जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैः–

1. श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, पिता– श्री कन्हैया सिंह, ग्राम–भानपुर, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा प्रस्ताव का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि इकाई लगने से हमलोग को रोजगार मिलेगा।
2. श्री देवेन्द्र यादव, पिता–श्री गणेश यादव, ग्राम–महमुदगंज, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा सुझाव दिया गया कि इकाई में अच्छी क्वालिटी का मशीन लगनी चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो।

   इकाई संचालक द्वारा आश्वस्त किया गया कि हमलोग गौर से ध्यान देंगे। अच्छी मशीनरी का ही इस्तेमाल किया जायेगा। तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया

गया कि 100 मी0 से ज्यादा त्रिज्या में ध्वनि की तिव्रता कम रहेगी। हमारा परिसर का त्रिज्या 100 मी0 से अधिक है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण की कोई समस्या नही होगी।

3. श्री विवेक कुमार, पिता–बृजबिहारी राम, ग्राम–कर्णपुरा, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा बताया गया कि दिल्ली, मुम्बई, गुजरात आदि जगहों पर नई–नई मशीनें लगी रहती है। प्रदूषण की समस्या कम होती है। यहाँ का मशीन भी इस तरह का होना चाहिए की प्रदूषण होने की सम्भावना नहीं हो। उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता पर जोर दिया और बताया की इकाई लगने से कोई दिक्कत नहीं है। फायदा ही फायदा है। प्रदूषण की समस्या नही है।

   तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि आज कल मशीन का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि वो प्रदूषण मुक्त उत्पादन करे, ऐसा नहीं होने पर निर्माणकर्त्ता का मशीन की खरीदगी हीं नहीं होगी। हमलोग भी इसको देखते हुए सारे मशीन की व्यवस्था करवायेगें। उनके द्वारा बताया गया कि यह एक सिमेंट ग्राईडिंग यूनिट है। जिसमें ध्वनि एवं वायु प्रदूषण कम होता है। क्लींकर बाहर से लायेंगे। इसलिए वायु एवं ध्वनि प्रदूषण होने की सम्भावना नगण्य है। इकाई में बैग फिलटर एवं डस्ट क्लक्टर लगाया जायेगा। पानी का छिड़काव किया जायेगा। पेड़–पौधे लगाये जायेंगे, जो धुल–कण को अवशोषित करेंगे।

4. श्री महेन्द्र राम, पिता–श्री रामकिशुन राम, ग्राम–कुरारी, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा बताया गया कि हमलोग गरीब है दूसरे इकाई में बाहरी लोग काम करते है। इस कम्पनी को बनने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमलोग(स्थानीय लोग) को रोजगार मिलना चाहिए।

   इकाई प्रबंधक द्वारा आश्वस्त किया गया कि स्थानीय लोग को ही रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी।

   अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि स्थानीय मजदूर(कुशल/अकुशल) को प्राथमिकता दें। यहाँ के लोग दूसरे राज्य नहीं जाये इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर से आये कुशल मजदूर के साथ में यहाँ के अकुशल मजदूर को साथ कर दिया जाये, ताकि कुछ दिन के बाद वे भी कुशल हो जाये।

   इकाई प्रबंधक द्वारा आश्वस्त किया गया कि हमलोग अकुशल मजदूर को कुशल बनाने की कोशीश करेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कराई जायेगी।

5. श्री राजकुमार साह, पिता–श्री उमर साह, ग्राम–कुरारी, प्रखण्ड–दुर्गावती द्वारा स्थानीय लोग को ही रोजगार देने की बात की गई।

   अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोग की जमीन गई है। इसकी भरपाई होनी चाहिए एवं स्थानीय लोग को ही रोजगार मिलना चाहिए। जिससे बिहार के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हो।

   इकाई प्रबंधक द्वारा बताया गया कि मैं भी गया जिला, बिहार का रहने वाला हूँ। दुर्गावती में औद्योगिक माहौल बन गया है। राष्ट्रीय उच्च पथ के बगल में है। अन्य सुविधाएँ भी मौजुद है, इसलिए इकाई के लिए दुर्गावती प्रखण्ड चुना गया। मै स्थानीय लोग को ही रोजगार में प्राथमिकता दूँगा।

6. श्री विपीन यादव, पिता–श्री रामवृक्ष यादव, ग्राम–लोहदन द्वारा बताया गया कि इकाई के मशीन से पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। हमलोग के परेशानी का